श्री तारा देवी मन्दिर न्यास, तारा देवी जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1/2010 से 12/2013

भाग–एक

1 **प्रारम्भिकः–**

(क) श्री तारा देवी, मन्दिर न्यास तारा देवी जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1/2010 से 12/2013 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण, हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग) (2) तथा भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 के पत्र संख्या भासनि–15/97–मन्दिर–3–3278 दिनांक 24.3.2005 के दृष्टिगत, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान श्री तारा देवी माता मन्दिर न्यास, तारा देवी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित अधिकारी आयुक्त मन्दिर न्यास एवं मन्दिर अधिकारी के रूप में कार्यरत्त थेः–

(1) आयुक्त मन्दिर न्यासः–

क्र0सं0	आयुक्त मन्दिर न्यास	अवधि
1	श्री जे0एस0 राणा	30.5.09 से 29.01.2011
2	श्री ओंकार शर्मा	29.01.2011 से 28.04.2012
3	श्री मनीष गर्ग	28.04.2012 से 31.05.2012
4	श्री अरूण शर्मा	01.06.2012 से 23.10.2012
5	श्री सुभाशीष पांडा	24.10.2012 से 03.01.2013
6	श्री दिनेश मल्होत्रा	03.01.2013 से 31.12.2013

(2) मन्दिर अधिकारी

क्र0सं0	मन्दिर अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री प्रवीण कुमार टांक	01.01.2010 से 30.8.2012
2	श्री राजीव संख्यान	31.08.2012 से 18.05.2013
3	श्री मंजीत शर्मा	18.05.2013 से 31.12.2013

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

श्री तारा देवी मन्दिर न्यास, तारा देवी जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.01.2010 से 31.12.2013 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से रहाः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
1	5 (ख)	मन्दिर न्यास द्वारा सावधि जमा योजना में निवेश न करने तथा उचित वित्तीय प्रबन्धन न किए जाने के कारण लगभग राशि का ब्याज के रूप में सम्भावित आय से वंचित रहना	3.28
2	10	मन्दिर न्यास निधि से विज्ञापन पर राशि का अनियमित व्यय करना	0.20
3	12	मन्दिर न्यास निधि से अन्य संस्थायों की गतिविधियों हेतु राशि का अनुचित रूप से भुगतान किया जाना	0.30
4	13 (क)	कार्य का नामः–प्रावाईडिंग एंड लेईग स्लेट इन स्टेडियम नीयर श्री तारा देवी मन्दिर न्यास . कार्य मद "प्रोवाईडिंग एंड फिक्सिंग लोकल स्लेट 26 एमएम टू 20 एमएम ऑन आरसीसी सरफेसिस" की अधिक गणना करने के कारण सम्भावित अधिक भुगतान करना	11.62
5	14	मन्दिर काम्प्लेक्स से ब्रास्स रेल्लिंग लगाने के लिए बिना औपचारिकताएं पूरी किए ही भुगतान करना	7.75
6	15	डिपोजिट वर्कस के लिए राशि का भुगतान करने पर भी निर्माण कार्य प्रारम्भ न करना	30.00
7	16	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	4.75
8	17	संविदाकारों के भुगतान बिलों से नियमानुसार आयकर, बिक्रीकर व लेबर कर न काटा जाना	4.66

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

मन्दिर न्यास श्री तारा देवी प्रशासन द्वारा प्रस्तुत अभिलेख की जाँच पड़ताल में पाया कि मन्दिर न्यास द्वारा पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरा के सम्बन्ध अंकेक्षण पैरों के निपटारे हेतु कोई विशेष कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी तथा वर्तमान अंकेक्षण के पश्चात पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

श्री तारा देवी, मन्दिर न्यास, तारा देवी जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.01.2010 से 31.12.2013 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, श्री अनिल मेहरा तथा श्री रविन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारियों द्वारा 21.01.2014 से 18.02.2014 के दौरान मन्दिर न्यास तारा देवी, जिला शिमला में किया गया। आय की विस्तृत जॉच हेतु माह 10/2010, 10/2011, 03/2012 व 10/2013 तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 3/2010, 09/2011, 11/2012 व 12/2013 का चयन किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण श्री तारा देवी मन्दिर न्यास, तारा देवी जिला शिमला द्वारा प्रेषित सूचनाओं एवं अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। न्यास द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रस्तुत नहीं की गई के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–09 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 लेखा परीक्षा शुल्कः–

श्री तारा देवी मन्दिर न्यास, तारा देवी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.01.2010 से 31.12.2013 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹18600/– आंका गया, जिसे रेखांकित बैक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को शीध्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09/टीटीटी/2014 दिनांक 18.02.2014 द्वारा अनुरोध किया गया। अंकेक्षण शुल्क की राशि ड्राफ्ट संख्या 397427 दिनाँक 7.3.2014 द्वारा भेज दी गई है।

4 वित्तीय स्थितिः–

श्री तारा देवी मन्दिर न्यास तारा देवी जिला शिमला द्वारा प्रस्तुत मन्दिर न्यास के अवधि 01.01.2010 से 31.12.2013 के लेखाओं की वर्षवार वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	ब्याज की प्राप्तियाँ	कुल योग	वर्ष के दौरान भुगतान	अन्तिम शेष
2010	5522876.45	6408416.00	142267.00	12073559.45	9909050.00	2164509.45
2011	2164509.45	6882179.00	105601.00	9152289.46	4784983.00	4367306.46
2012	4367306.46	7716951.00	167718.09	12251975.55	5014209.00	7237766.55
2013	7237766.55	7679432.34	318607.00	15235805.89	4418786.00	10817019.89

दिनांक 31.12.2013 को वित्तीय स्थिति के अनुसार ₹10817019.89 का अन्तशेष था तथा रोकड़ बही अनुसार भी अन्तशेष ₹10817019.89 ही था। इस प्रकार से वित्तीय स्थिति व रोकड़ बही में कोई अन्तर नहीं था परन्तु बैंक के अनुसार दिनांक 31.12.2013 को अन्तशेष ₹10757024.95 का था। अतः रोकड़ बही/वित्तीय अन्तशेष व बैंक के अन्तशेष में ₹59994.94 का अन्तर पाया गया जिसकी बैंक समाधान विवरणी/विवरण निम्न प्रकार से हैः–

दिनांक 31.12.2013 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष			**10817019.89**
(+) जारी किए गए चैक जो दिनांक 31.12.2012 तक भुनाये नहीं गए थे			(+) 88675
1.	चैक संख्या 4992029 दिनांक 04.03.2009	10000	
2.	चैक संख्या 6350624 दिनांक 06.07.2010	10000	
3.	चैक संख्या 436305 दिनांक 11.4.2012	7000	
4.	चैक संख्या 052007 दिनांक 04.12.2013	9000	
5.	चैक संख्या 05212 दिनांक 26.12.2013	52675	
(–) रोकड़ बही व बैंक में अन्तर जो अवधि 01.01.2006 से 31.12.2009 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 4 (3) में पूर्व में भी प्रारूपित किया गया था			(–) 148669.94
अतः दिनांक 31.12.2013 को बैंक अनुसार शेष			**10757024.95**
बैंक के अनुसार दर्शायी गयी शेष जमा राशि का विवरण			
हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक खाता संख्या 1 में जमा			10728541.71

हि0प्र0राज्य सहकारी बैंक खाता सं0 16555 में जमा	4123.80
एच0डी0एफ0सी0 बैंक खाता संख्या 03461450000189 (बैंक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया)	19709.10
एस0बी0आई0 शोधी खाता संख्या 32251914668 में	4650.34
योग	**10757024.95**

उपरोक्त बैंक समाधान विवरणी से सम्बन्धित टिप्पणियां निम्न प्रकार से है:–

(क) ₹27000/– के कालातीत हो चुके चैकों पर लेखा नियमों के अनुसार कार्रवाई न करना:–

मन्दिर न्यास द्वारा निम्नलिखित चैक जारी किए गए थे परन्तु यह चैक जिनको जारी किए गए थे उनके द्वारा यह चैक वैधता अवधि के भीतर नहीं भुनाये गए, फलस्वरूप यह चैक कालातीत हो चुके है। ऐसी स्थिति में कालातीत हो चुके चैकों को रोकड़ बही में डेबिट/प्राप्ति में लिया जाना अपेक्षित था परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा कालातीत हो चुके चैकों को बैंक समाधान विवरणी में दर्शाया जा रहा है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः न्यास स्तर पर आन्तरिक जाँच करके इन चैकों से सम्बन्धित राशि को रोकड़ बही में डेबिट/प्राप्ति में ले करके इनका समायोजन/मिलान किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

कालातीत हो चुके चैकों का विवरण	**राशि**
1) चैक संख्या 4992029 दिनांक 04.03.2009	10000
2) चैक संख्या 6350624 दिनांक 06.07.2010	10000
3) चैक संख्या 436305 दिनांक 11.04.2012	7000

(ख) बैंक में ₹148669.94 का कम जमा पाया जाना:–

मन्दिर न्यास श्री तारा देवी की रोकड़ बही व बैंक में ₹148669.94 का अन्तर (जो पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में पाया गया तथा वर्ष दर वर्ष प्रारूपित किया गया था) के सम्बन्ध में न्यास द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वास्तव में यह अन्तर रोकड़ बही व बैंक में जमा राशि में दर्शाया गया था अर्थात ₹148669.94 बैंक में कम जमा है। अतः इस सन्दर्भ में भी संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच करके इस अन्तर का समाधान अतिशीध्र किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 सावधि जमाः–

(क) मन्दिर न्यास के लेखों की जाँच पड़ताल में पाया गया कि दिनांक 01.01.2010 से 31.12.2013 के दौरान मन्दिर न्यास द्वारा कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी जिस सम्बन्ध में मन्दिर न्यास द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है।

(ख) मन्दिर न्यास द्वारा सावधि जमा योजना में निवेश न करने तथा उचित वित्तीय प्रबन्धन न किए जाने के कारण लगभग ₹328655/— ब्याज के रूप में सम्भावित आय से वंचित रहनाः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा आवश्यकता के अनुसार व्यय करने के उपरान्त शेष राशियों को बचत खातों में ही रखा जा रहा था तथा शेष आधिक्य राशियों को अधिक ब्याज प्राप्त करने के उद्देश्य से सावधि जमा योजना अथवा ऐसी योजनाओं में निवेश नहीं किया गया था जहां से अधिक ब्याज की प्राप्ति हो। यदि व्यय करने के उपरान्त शेष बची राशियों का 50% भाग का भी सावधि जमा योजना में निवेश किया गया होता तो बचत खातों के ब्याज की अपेक्षा दुगने से भी अधिक ब्याज की प्राप्ति होती जिसको समय—2 पर मन्दिर के विभिन्न विकास कार्यो पर खर्च किया जा सकता था। अतः मन्दिर न्यास द्वारा उचित वित्तीय प्रबन्ध न किए जाने के कारण लगभग ₹328655/— के ब्याज से वंचित रहना पड़ा जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0 सं0	वर्ष	वर्ष के अन्त में शेष राशि	न्यास द्वारा कम से कम 50% राशि सावधि जमा में निवेश की जा सकती थी	निवेश पर जो ब्याज प्राप्त किया जा सकता था (8.5% की दर से एक वर्ष की अवधि के लिए)	ब्याज जो बचत खाते की 4% दर से प्राप्त हुआ	ब्याज के रूप में हानि
1	2010	21.64 लाख	10.82 लाख	94950	43280	51670
2	2011	43.67 लाख	21.83 लाख	191553	87320	10233
3	2012	72.37 लाख	36.18 लाख	317472	144720	172752
					कुल योग	**328655**

6 सोने के भण्डार की स्थितिः—

मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत न्यास की अवधि 01.01.10 से 31.12.13 के दौरान सोने के भण्डार की स्थिति निम्न प्रकार से हैः—

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (ग्राम में)	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ (ग्राम में)	कुल योग (ग्राम में)	जारी किया गया	अन्तिम शेष (ग्राम में)
2010	752.355	145.830	898.185	0.000	898.185
2011	898.185	35.350	933.535	0.000	933.535
2012	933.535	55.537	989.072	0.000	989.072
2013	989.072	90.890	1079.962	0.000	1079.962

उपरोक्त विवरण के अनुसार दिनांक 31.12.2013 को 1079.962 ग्राम सोना मन्दिर न्यास के भण्डार में जमा था जिसका विवरण निम्न प्रकार से था:—

विवरण (जहां पर सोना रखा गया था)	भार (ग्राम में)
शुद्ध सोना जो हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के लॉकर संख्या 239 में रखा गया था	556.650 ग्राम
मन्दिर लॉकर में रखा गया अशुद्ध सोना	523.312 ग्राम
कुल जमा	**1079.962 ग्राम**

7 चाँदी के भण्डार की स्थिति:—

मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत न्यास की अवधि 01.01.2010 से 31.12.2013 के दौरान चाँदी की भण्डार की स्थिति निम्न प्रकार से थी:—

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (किलोग्राम)	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ (किलोग्राम)	कुल योग (किलोग्राम)	जारी किया गया	अन्तिम शेष (किलोग्राम)
2010	114.287.800	29.776.700	144.064.500	0.000	144.064.500
2011	144.064.500	6.747.840	150.812.340	0.000	150.812.340
2012	150.812.340	6.773.406	157.585.746	0.000	157.585.746
2013	157.585.746	5.984.630	163.570.376	0.000	163.570.376

उपरोक्त विवरण के अनुसार दिनांक 31.12.2013 को 163 किलोग्राम 570 ग्राम 376 मिलीग्राम चाँदी मन्दिर न्यास के भण्डार में जमा था जिसका विवरण निम्न प्रकार से था:—

विवरण (जहां पर चाँदी रखी गयी थी)	भार (किलोग्राम)
शुद्ध चाँदी जो हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के लॉकर संख्या 239	74.040.000

में रखी गई है।

मन्दिर लॉकर में रखी गई अशुद्ध चाँदी	89.530.376
कुल जमा	**163.570.376**

अर्थात 163 किलो 570 ग्राम 376 मिलीग्राम

8 रोकड़ प्राप्तियों को विलम्ब से बैंक में जमा करवानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास श्री तारा देवी द्वारा रसीदों से प्राप्त आय को विलम्ब से बैंक में जमा करवाया गया है जो कि वित्तीय नियमों के विरूद्ध होने के साथ–साथ इस राशि के अस्थाई दुर्विनियोजन करने को भी दर्शाता है। इस प्रकार के कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से दिये गये है। अतः रसीदों से प्राप्त राशि को विलम्ब से जमा करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में रसीदों से प्राप्त राशियों को उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस को जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त यदि सम्भव हो तो प्राप्त राशियों को अंको के साथ–साथ शब्दों में भी लिखा जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि किसी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रहे।

क्र0सं0	रसीद सं0	प्राप्ति की तिथि	राशि	बैंक में जमा करवाने की वास्तविक तिथि
1	19234 से 19300	21.09.2010 से 30.10.2010	11956	04.10.2010
2	19304 से 19310	21.09.2010 से 30.10.2010	9604	04.10.2010
3	19311 से 19400	02.10.2010 से 14.10.2010	52976	20.10.2010
4	19408 से 19500	02.10.2010 से 09.10.2010	18018	20.10.2010
5	19501 से 19600	09.10.2010 से 10.10.2010	14196	20.10.2010
6	19656 से 19700	11.10.2010 से 12.10.2010	9180	20.10.2010
7	19701 से 19800	14.10.2010 से 16.10.2010	18410	20.10.2010
8	19801 से 19900	15.10.2010	24877	20.10.2010

9 मन्दिर परिसर में जुगर मन्दिर से प्रापत राशियों को तिथिवार प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज न करनाः–

श्री तारा देवी मन्दिर परिसर में जुग्गर मन्दिर से सम्बन्धित प्राप्तियों को तिथिवार प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जा रहा था अपितु प्राप्तियों को सीधे रोकड़ बही में ही दर्ज किया

गया था जबकि प्रक्रिया अनुसार मन्दिर के दानपात्र, न्यास पदाधिकारियों के सामने खोले जाने अपेक्षित होते है तथा प्राप्तियों को रजिस्टर में दर्ज करके सत्यापित किया जाना अपेक्षित होता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि मन्दिर न्यास में जुगर मन्दिर की प्राप्तियों के सम्बन्ध में भी उचित प्रक्रिया पूरी की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

10 मन्दिर न्यास निधि से विज्ञापन पर ₹20000/– का अनियमित व्यय करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री तारा देवी मन्दिर न्यास निधि से विभिन्न संस्थाओं एवं संघो को उनके द्वारा छपवाए गए समाचार पत्रों/सोविनियर/पत्रिकाओं में मन्दिर न्यास की उपलब्धियों व गतिविधियों के बारे में विज्ञापन देने हेतु व्यय किया जा रहा था। अंकेक्षण में प्रस्तुत किए गए अभिलेख में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा विज्ञापन ऐसे समाचार पत्रों/सोविनियर/पत्रिकाओं में दिये गए थे जिनका प्रचार–प्रसार केवल कुछ ही ईलाकों/सीमित लेागों तक ही था तथा विज्ञापन प्रभार भी अपेक्षाकृत बहुत अधिक थे। इस प्रकार मन्दिर न्यास द्वारा कम ख्याति प्राप्त समाचार पत्रों/सोविनियर/पत्रिकाओं में विज्ञापन देकर अनियमित व्यय किया गया प्रतीत होता है। चयन माहों में पाए गए ऐसे मामलों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	जिस संस्था को राशि दी गई	बिल वाउचर	राशि	विवरण
1	प्रधानाचार्य, रा0व0मा0पा0, लालपानी, शिमला	94	10000	वार्षिक पत्रिका में विज्ञापन हेतु व्यय
2	प्रधान, ग्राम पंचायत, मशोबरा	306	10000	सिपुर मेले की स्मारिका में विज्ञापन हेतु व्यय

अतः उपरोक्त किए गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाए तथा अपेक्षित अनुपालना से इस विभगा को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार के खर्चों पर अंकुश लगाया जाए।

11 न्यास निधि से ₹16235/– की स्टोर/स्टॉक सामग्री की लेखा नियमों के अनुसार स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न करनाः–

चयनित मासों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि न्यास द्वारा न्यास निधि से समय–2 पर सामग्री/वस्तुओं की खरीद की गई थी परन्तु चयनित मासों में निम्नलिखित मामलों के खरीदी गई वस्तुओं/सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था जबकि खरीदी गई सामग्री को नियमानुसार सम्बन्धित निधि के स्टॉक रजिस्टर पर दर्ज किया जाना

अपेक्षित था। अतः ऐसे में खरीदी गई सामग्री के दुर्विनियोजन/गायब किए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

बिल सं0 व तिथि	आपूर्तिकर्ता का नाम	सामग्री का विवरण	मात्रा	राशि
56/04.03.2010	मै0 डी0के0 इलैक्ट्रिकल्स, शोघी	हीटर	2	1350
59/04.03.2010	मै0 संत लाल इन्द्र सेन, शिमला	बर्तन	–	1580
78/30.03.2010	मै0 संत लाल इन्द्र सेन, शिमला	बड़ा पतीला	1	12405
14/10.12.2013	मै0 जनता ट्रंक हाउस, शोंघी	टोकरी	6	900
			कुल योग	**16235**

उपरोक्त के अतिरिक्त चयनित माहों के अलावा अन्य मासों में भी खरीदी गई सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के मामलों की न्यास स्तर पर स्वतः जाँच पड़ताल करके नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

12 मन्दिर न्यास निधि से अन्य संस्थायों की गतिविधियों हेतु ₹30000/– का अनुचित रूप से भुगतान किया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री तारा देवी मन्दिर न्यास निधि से रोकड़ बही के पृष्ठ 42 के अनुसार दिनांक 2.03.11 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, बसन्तपुर व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, धरोगड़ा को क्रमशः ₹20000 तथा ₹10000 अतिरिक्त जिलाधीश के माध्यम से जारी की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश धार्मिक एवं एक्ट में इस प्रकार की राशि को जारी करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारी/मन्दिर आयुक्त द्वारा इस राशि को जारी करने हेतु वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान नहीं की थी। अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा दी गई राशि के सम्बन्ध में पाठशाला की प्राप्ति/रसीद भी अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं। यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा वाँछित रसीद/पावती की प्राप्त की जाए। उक्त के अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य भुगतानों के सम्बन्ध में भी मन्दिर न्यास स्तर जाँच की जाए अंकेक्षण सुझावानुसार कार्रवाई की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 कार्य का नामः—प्रावाईडिंग एंड लेईग स्लेट इन स्टेडियम नीयर श्री तारा देवी मन्दिर न्यास

संविदाकार का नामः— श्री अनुज ठाकुर

वाउचर संख्या 26 दिनांक 19.12.2013 राशि 665280

श्री अनुज ठाकुर संविदाकार को निर्माण कार्य प्रोवाईडिंग एंड लेईंग स्लेट इन स्टेडियम नीयर श्री तारा देवी मन्दिर के निष्पादन हेतु वाऊचर संख्या 26 दिनांक 19.12.2013 के अन्तर्गत 665280/— का भुगतान किया गया। बिल की जाँच करने पर निम्न आपत्तियाँ दर्ज की गई, जिस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए।

(क) कार्य मद "प्रोवाईंडिंग एड फिक्सिंग लोकल स्लेट 26 एमएम टू 20 एमएम ऑन आरसीसी सरफेसिस" की अधिक गणना करने के कारण ₹116275.50 का सम्भावित अधिक भुगतानः—

कार्य मद "प्रोवाईंडिंग एड फिक्सिंग लोकल स्लेट 26 एमएम टू 20 एमएम ऑन आरसीसी सरफेसिस" की गणना जो एक प्लेन शीट पर बिल के साथ लगाई गई थी की जाँच करने पर पाया गया कि जितने क्षेत्र में कार्य मद "प्रोवाईंडिंग एड लेंईग सीसी 1:2:4" का निष्पादन किया गया था प्रक्रियानुसार उतने ही क्षेत्र में "लोकल स्लेट 26 एमएस टू 20एमएम" लगाई जानी अपेक्षित थी। परन्तु उपरोक्त कार्य के निष्पादन में कार्य मद "प्रोवाईंडिंग एड लेंईग सीसी 1:2:4" के क्षेत्र से कार्य मद "प्रोवाईंडिंग एड फिक्सिंग लोकल स्लेट 26 एमएम टू 20 एमएम ऑन आरसीसी सरफेसिस" का क्षेत्र अधिक लिया गया था। इस प्रकार निम्न वर्णित गणना के अनुसार 86.15 वर्ग मीटर में "लोकल स्लेट 26 एमएस टू 20एमएम" की अधिक गणना करके ₹116302.50 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसकी संस्था स्त्तर पर भी आन्तरिक जाँच की जाए तथा अधिक निष्पादित की गई मात्रा 86.15 वर्गमीटर के लिए भुगतान की गई ₹116275/— के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए।

मद का विवरण	मात्रा जो वास्तव में भुगतान की गई (वर्ग मी0)	मात्रा जो अनुबन्ध की मद संख्यर 1 (प्रोवाइडिंग एंड लेईंग सीसी 1:2:4) अनुसार	अधिक भुगतान की गई मात्रा (वर्ग मी0)	दर	अधिक भुगतान

		देय थी (वर्ग मी0)			
प्रोवाईंडिंग एड फिक्सिंग लोकल स्लेट 26 एमएम टू 20 एमएम ऑन आरसीसी सरफेसिस	428.83 वर्गमीटर	25.9x0.8=20.72 8.2x1.75=14.35 8.2x10.5=86.10 2.4x2.7=06.48 8.2x8.45=69.29 8.1x8.2=66.42 8.3x1=08.30 18.9x1.6=30.24 6.8x1.2=08.16 28.5x0.4=11.40 17.7x1.2=21.24			
Total	**428.83**	**342.70**	**86.13**	**1350**	**116275.50**

(ख) प्रतिस्थापित मद "प्रोवाईंडिंग एड फिक्सिंग लोकल स्लेट 26 एमएम टू 20 एमएम ऑन आरसीसी सरफेसिस" के दर निर्धारण के सम्बन्ध में कोई अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

अनुबन्ध की मद संख्या 2 "प्रोवाईंडिंग एड फिक्सिंग लोकल स्लेट 8 एमएम टू 10 एमएम ऑन आरसीसी सरफेसिस" का प्रतिस्थापन मद "प्रोवाईंडिंग एड फिक्सिंग लोकल स्लेट 26 एमएम टू 20 एमएम ऑन आरसीसी सरफेसिस" से किया गया था। अनुबन्ध के अनुसार उक्त मद की अनुबन्धित दर ₹900 प्रति वर्ग मीटर थी तथा प्रतिस्थापित मद के लिए न्यास द्वारा ₹1350 प्रति वर्गमीटर की दर से कुल मात्रा 428.83 वर्ग मीटर हेतु ₹578920.50 का भुगतान किया गया था। परन्तु न्यास द्वारा प्रतिस्थापित मद के लिए निर्धारित की गई दर से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए और न ही प्रतिस्थापित मद को निष्पादित करवाने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की गई थी। अतः उक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जाए।

14 मन्दिर काम्पलैक्स से ब्रास्स रेल्लिंग लगाने के लिए औपचारिकताएं पूरी किए बिना ही ₹775404/– का भुगतान करना:–

मन्दिर न्यास श्री तारा देवी मन्दिर कॉपलैक्स में ब्रास्स रेल्लिंग लगाने के लिए प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 07.03.2010 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा "ब्रास्स रेल्लिंग विद फिक्सिंग" के कार्य के लिए मै0 प्लाई पैलेस, राम मन्दिर, शिमला को उनके बिल संख्या 1143 दिनांक 24.03.2010 के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार ₹775404/– का भुगतान किया गया।

बिल संख्या/ दिनांक	करवाए गए कार्य का विवरण	मात्रा	दर	राशि	संबर्धन कर (12.58%)	कुल राशि
1143/ 24.03.2010	ब्रास्स रेल्लिंग विद फिक्सिंग	910.50 किलोग्राम	757 प्रति किलोग्राम	689248	86158	775404

उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु मै0 प्लाई, पैलेस, राम मन्दिर, शिमला को निम्न तिथियों/राशि की अदायगी की गई थी।

क्र0सं0	अदायगी की तारीख	राशि
1	अग्रिम अदायगी चैक संख्या 4994423 दिनांक 8.2.10	360000
2	अग्रिम अदायगी चैक संख्या 4994438 दिनांक 12.3.10	150000
3	शेष राशि 26.03.2010	265404
	कुल योग	**₹775404**

फर्म के बिल की विस्तृत जाँच करने पर निम्न आपत्तियाँ/त्रुटियाँ पाई गई:–

(i) मन्दिर न्यास द्वारा ब्रास्स रेल्लिंग विद फिक्सिंग के कार्य हेतु कोई प्रारूप/अनुमान तैयार नहीं किया गया।

(ii) कार्य के निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकारी अर्थात मन्दिर आयुक्त से वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के साक्ष्य के रूप में अंकेक्षण में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।

(iii) कार्य को करवाने हेतु लोकल कोटेशने ही आमन्त्रित की गई थी तथा विस्तृत प्रसार हेतु समाचार पत्रों में कोई विज्ञापन नहीं दिया गया था जिससे खुली बाजारी प्रतियोंगिता का लाभ नहीं उठाया जा सके। अतः खुली बाजारी प्रतियोगिता का लाभ न उठाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए।

(iv) जिस एजेन्सी/फर्म से कार्य करवाया गया था उनके बिल पर (GST/CST) नम्बर दर्ज नहीं था जबकि फर्म को ₹86158/– बतौर संबर्धन कर (Vat) के रूप में अदायगी की गई। ऐसी स्थिति में यह सत्यापन नहीं किया जा सका कि फर्म द्वारा संबर्धन कर (vat) की ₹86158/– को वास्तव में सरकारी खाते में जमा करवाया गया था अथवा नहीं। अतः इस समबन्ध में फर्म द्वारा सरकारी खाते में जमा करवाए गए संबर्धन कर (vat) के साक्ष्य के रूप में अभिलेख प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

15 डिपोजिट वर्कस के लिए ₹3000000/– का भुगतान करने पर भी निर्माण कार्य प्रारम्भ न करनाः–

मन्दिर न्यास श्री तारा देवी द्वारा मन्दिर भवन के निर्माण हेतु निम्नलिखित भुगतान हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, निर्माण मण्डल–1, शिमला–171001 को किया गया।

क्र0सं0	**वा0सं0/दिनांक**	**विभाग जिसे भुगतान किया गया**	**राशि**
1	308/28.09.2011	अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डल–1 शिमला	1000000
2	06/27.04.2012	अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डल–1 शिमला	2000000
		कुल योग	**₹3000000**

उपरोक्त विवरण के अनुसार ₹3000000/– (तीस लाख रूपए) अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डल–1 शिमला को डिपोजिंट कार्य अर्थात मन्दिर निर्माण हेतु प्रेषित की गई थी, परन्तु अंकेक्षण अवधि के समापन तक मन्दिर निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया था। अतः अपेक्षित राशि जमा करवाने के बाद भी मन्दिर निर्माण कार्य प्रारम्भ न करना अपने–आप में एक गम्भीर अनियमितता है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए

तथा उक्त इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाकर तत्काल कार्य प्रारम्भ करवाया जाना तथा निश्चित समयाविधि के अन्दर सम्बन्धित भी करवाया जाए।

16 ₹475750/– के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना:–

मन्दिर न्यास श्री तारा देवी द्वारा मन्दिर कॉम्पलैक्स में बिजली की आपूर्ति हेतु एक ट्रांसफार्मर लगाने हेतु ₹475750/– का भुगतान सहायक अधिशासी अभियन्ता, बिद्युत उपमण्डल जतोग शिमला को किया गया था। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया कि उपरोक्त कार्य समाप्त किया जा चुका है परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा कार्य से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त नहीं किए गए है। अतः करवाए गए कार्य के सन्दर्भ में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने सुनिश्चित किए जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 संविदाकारों के भुगतान बिलों से नियमानुसार ₹466969.50 का आयकर, बिक्रीकर व लेबर कर न काटा जाना:–

मन्दिर न्यास श्री तारा देवी द्वारा मन्दिर कॉम्पलैक्स में करवाए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों के बिलों के अंकेक्षण के दौरान पाया कि ठेकेदारों को किए जा रहे भुगतान से नियमानुसार आयकर, बिक्रीकर व लेबर कर की कटौती नहीं की जा रही थी जिसके फलस्वरूप सरकार को प्रत्यक्ष रूप से आय की हानि हुई है। विस्तृत जाँच के लिए चयनित माहों में निम्न मामले पाये गए जिसमें नियमानुसार आयकर, बिक्रीकर व लेबर कर की कटौती नहीं की गई थी।

संविदाकार का नाम	वा0सं0	बिल की राशि	आयकर	बिक्रीकर	लेबर प्रभार
मै0 फ्लाई पैलेस, शिमला	77/26.03.2010	775404	15508	15508	7754
मै0 आर0डी0 इलेक्ट्रिकलस	93/01.04.2010	71000	1420	1420	710
श्री ललित चौहान	94/01.04.2010	1102921	22058.40	22058.40	11029
मै0 पदम इन्डस्ट्रीज, खलिनी	156/16.04.2010	113832	2276.60	2276.60	1138.30

मै0 फ्लाई पैलेस, शिमला	157 / 26.04.2010	241000	4820.00	4820.00	2410.00
श्री ललित चौहान	207 / 03.06.2010	623355	12467.10	12467.10	6233.55
श्री ललित चौहान	270 / 18.08.2010	908872	18177.40	18177.40	9088.70
श्री मनमोहन ठाकुर	69 / 11.09.2010	489120	9782.40	9782.40	4891.20
मै0 आर0डी0 इलैक्ट्रिकलस	283 / 29.09.2010	47400	948.00	948.00	474.00
श्री मनमोहन ठाकुर	284 / 29.09.2010	47400	948.00	948.00	474.00
श्री प्रदीप शर्मा	343 / 04.11.2010	146878	2967.60	2967.60	1468.80
श्री ललित चौहान	412 / 23.12.2010	1380000	27600	27600	13800.00
श्री ललित चौहान	413 / 23.12.2010	757000	15140	15140	7570.00
श्री मनमोहन ठाकुर	29 / 12.01.2011	136881	2737.60	2737.60	1368.80
श्री मनमोहन ठाकुर	131 / 04.05.2011	68508	1370.20	1370.20	685.10
श्री मनोज अजता	260 / 07.09.2011	638428	12768.50	12768.50	6384.28
श्री प्रदीप शर्मा	38 / 02.03.2012	464488	9289.80	9289.80	4644.90
श्री अमर सिंह	14 / 05.02.2013	181668	3633.40	3633.40	1816.70
श्री प्रदीप शर्मा	13 / 18.03.2013	235933	4718.70	4718.70	2359.30
श्री सुरेश ठाकुर	14 / 18.03.2013	123400	2468.00	2468.00	1234.00
श्री अनुज ठाकुर	30 / 06.11.2013	120626	2412.50	2412.50	1206.30
श्री अनुज ठाकुर	26 / 19.12.2013	665280	13305.60	13305.60	6652.80
		कुल योग	**186787.80**	**186787.80**	**93393.90**

अतः उक्त कटौती न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा उक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त मासों की जाँच की न्यास स्तर पर की जाए तथा ठेकेदारों व आयकर, बिक्रीकर तथा लेबर कर इत्यादि के रूप में कटौती न की गई राशि की गणना संस्थास्त्तर पर करके एवं अपेक्षित राशि की वसूली करके सम्बन्धित विभागों में जमा करवाई जाए।

18 संविदाकरों के भुगतान बिलों से प्रतिभूति (Security) की कटौती न करनाः—

मन्दिर कॉम्प्लेक्स में करवाए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों के बिलों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संविदाकारों को किए जा रहे भुगतान से प्रतिभूति की कटौती नहीं की जा रही थी जो कि सीपीडब्लयूडी/एचपीपीडब्लयू डी मैनुयल के प्रावधानों का सीध उल्लंघन है क्योंकि सीपीडब्लयूडी/एचपीपीडब्लयू डी में दिये गए प्रावधानों के अनुसार करवाए गए कार्य से प्रतिभूति की कटौती की जानी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उक्त मैनुयल में यह भी वर्णित किया गया है कि यदि करवाए गए कार्य में निश्चित अवधि के भीतर कोई कमी/defect पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में कमी/defect के एवज में जमा/काटी गई प्रतिभूति से वसूली की जा सकती है। अतः ठेकेदारों बिलों में से प्रतिभूति न काटे जाने से संविदाकारों को लाभ पहुचाया गया है जिस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए व संविदाकारों को किए गए भुगतानों से प्रतिभूति की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

19 अभिलेखें का अनुरक्षण एवं लेखांकन न करनाः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्नलिखित अभिलेख अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत नहीं किए गएः—

1 किराया मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर

2 घास नीलामी रजिस्टर व सम्बन्धित अभिलेख

3 दुकान एवं कफेटेरिया की नीलामी से सम्बन्धित अभिलेख

इस सन्दर्भ में मन्दिर न्यास द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उपरोक्त अभिलेख मन्दिर न्यास द्वारा तैयार नहीं किए गए थे। अतः सुझाव दिया जाता है कि उक्त समस्त अभिलेख अविलम्ब तैयार किए जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 स्टॉक का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन न किया जानाः—

मन्दिर न्यास श्री तारा देवी द्वारा समय—2 पर खरीदी गई वस्तुओं की स्थिति का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था जबकि नियमानुसार प्रतिवर्ष एक समिति बनाकर स्टॉक का

प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित था जिससे यह सत्यापित किया जा सके कि स्टॉक रजिस्टर में दर्शाये जा रही सामग्री की वास्तविक स्थिति क्या है। अतः स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किये जाने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में प्रतिवर्ष एक समिति बनाकर स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** लघु आपत्ति विवरणी अलग से जारी नहीं की गई थी।

22 **निष्कर्षः—** लेखों में विशेष सुधार की आवश्यकता है व गत वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरो के सन्दर्भ में अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए।

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)(एच) (2)सी (15)(14) 191/97खण्ड—2—3625—29 दिनांक, 30.06.2014 शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत 1 मन्दिर अधिकारी, श्री तारा देवी मन्दिर न्यास तारादेवी, जिला शिमला (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।

2 उपायुक्त शिमला एवं अध्यक्ष मन्दिर कमेटी, जिला शिमला, हि0प्र0 171001

3 निदेशक, (भाषा कला एवं संस्कृति) विभाग हि0प्र0 शिमला—9

4 अवर सचिव (भाषा एंव संस्कृति) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—2

5 श्री अनिल मैहरा, अनुभाग अधिकारी द्वारा

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट "क" **पैरा 1 में सन्दर्भित**

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.07.87 से 31.03.97

1	पैरा–3 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा–3 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (ग) (I)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (ग) (II)	अनिर्णीत
7	पैरा–5 (क)	अनिर्णीत
8	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत
9	पैरा–5 (ग)	अनिर्णीत
10	पैरा–5 (घ)	अनिर्णीत
11	पैरा–5 (च)	अनिर्णीत
12	पैरा–5 (छ)	अनिर्णीत
13	पैरा–5 (ज)	अनिर्णीत
14	पैरा–5 (झ)	अनिर्णीत
15	पैरा–5 (ञ)	अनिर्णीत
16	पैरा–5 (ट)	अनिर्णीत
17	पैरा–5 (ठ)	अनिर्णीत
18	पैरा–6	अनिर्णीत
19	पैरा–7	अनिर्णीत
20	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत
21	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत
22	पैरा–8 (ग)	अनिर्णीत
23	पैरा–8 (घ)	अनिर्णीत
24	पैरा–8 (च)	अनिर्णीत
25	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत

26	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत
27	पैरा–9 (ख) (2)	अनिर्णीत
28	पैरा–9 (ग)	अनिर्णीत
29	पैरा–9 (घ)	अनिर्णीत
30	पैरा–9 (ड़)	अनिर्णीत
31	पैरा–9 (च)	अनिर्णीत
32	पैरा–10	अनिर्णीत
33	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत
34	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत
35	पैरा–11 (ग)	अनिर्णीत
36	पैरा–12	अनिर्णीत
37	पैरा–13	अनिर्णीत
38	पैरा–14 (क)	अनिर्णीत
39	पैरा–14 (ख)	अनिर्णीत
40	पैरा–14 (ग)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2001 से 31.12.2002

1	पैरा–4 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (घ)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (ड़)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (च)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (छ)	अनिर्णीत
7	पैरा–5	अनिर्णीत
8	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत
9	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत
10	पैरा–7	अनिर्णीत
11	पैरा–8	अनिर्णीत
12	पैरा–9	अनिर्णीत

13	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत	
14	पैरा–10 (ख)	अनिर्णीत	
15	पैरा–11	अनिर्णीत	
16	पैरा–12	अनिर्णीत	
17	पैरा–13	अनिर्णीत	
18	पैरा–14	अनिर्णीत	
19	पैरा–15	निर्णीत	(₹256 की वसूली रसीद संख्या 32031 दिनांक 18.02.2014 द्वारा करने के पश्चात)
20	पैरा–16	अनिर्णीत	
21	पैरा–17 (क)	अनिर्णीत	
22	पैरा–17 (ख)	अनिर्णीत	
23	पैरा–18 (1)	अनिर्णीत	
24	पैरा–18 (2)	अनिर्णीत	
25	पैरा–18 (3)	अनिर्णीत	
26	पैरा–19	अनिर्णीत	
27	पैरा–20 (क)	अनिर्णीत	
28	पैरा–20 (ख)	अनिर्णीत	
29	पैरा–20 (ग)	अनिर्णीत	
30	पैरा–20 (घ)	अनिर्णीत	
31	पैरा–20 (ड़)	अनिर्णीत	
32	पैरा–20 (च)	अनिर्णीत	
33	पैरा–20 (ज)	अनिर्णीत	
34	पैरा–20 (झ) (1)	अनिर्णीत	
35	पैरा–20 (झ) (2)	अनिर्णीत	
36	पैरा–20 (ञ)	अनिर्णीत	

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.03 से 31.12.04

1	पैरा–3	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (ग)	अनिर्णीत

4	पैरा–4 (घ)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (ड़)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (च)	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (छ)	अनिर्णीत
8	पैरा–4 (ज)	अनिर्णीत
9	पैरा–4 (झ)	अनिर्णीत
10	पैरा–4 (ञ)	अनिर्णीत
11	पैरा–5	अनिर्णीत
12	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत
13	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत
14	पैरा–6 (घ)	अनिर्णीत
15	पैरा–6 (ड़)	अनिर्णीत
16	पैरा–7	अनिर्णीत
17	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत
18	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत
19	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत
20	पैरा–10 (1)	अनिर्णीत
21	पैरा–10 (2)	अनिर्णीत
22	पैरा–10 (3)	अनिर्णीत
23	पैरा–12	अनिर्णीत
24	पैरा–14	अनिर्णीत
25	पैरा–15 (क)	अनिर्णीत
26	पैरा–15 (ख)	अनिर्णीत
27	पैरा–15 (ग)	अनिर्णीत
28	पैरा–15 (घ)	अनिर्णीत
29	पैरा–15 (ड़)	अनिर्णीत
30	पैरा–15 (च)	अनिर्णीत
31	पैरा–15 (छ)	अनिर्णीत
32	पैरा–16	अनिर्णीत

33	पैरा–17 (क)	अनिर्णीत
34	पैरा–17 (ख)	अनिर्णीत
35	पैरा–18 (1)	अनिर्णीत
36	पैरा–18 (2)	अनिर्णीत
37	पैरा–18 (3)	अनिर्णीत
38	पैरा–19	अनिर्णीत
39	पैरा–20 (क)	अनिर्णीत
40	पैरा–20 (ख)	अनिर्णीत
41	पैरा–20 (ग)	अनिर्णीत
42	पैरा–21	अनिर्णीत
43	पैरा–22	अनिर्णीत
44	पैरा–23	अनिर्णीत
45	पैरा–24	अनिर्णीत
46	पैरा–26 (क)	अनिर्णीत
47	पैरा–26 (घ)	अनिर्णीत
48	पैरा–26 (च)	अनिर्णीत
49	पैरा–26 (ज)	अनिर्णीत
50	पैरा–26 (झ)	अनिर्णीत
51	पैरा–27 (क)	अनिर्णीत
52	पैरा–27 (ख)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.05 से 31.12.05

1	पैरा–4 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (घ)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (ड़)	अनिर्णीत
5	पैरा–5	अनिर्णीत
6	पैरा–6	अनिर्णीत
7	पैरा–7	अनिर्णीत
8	पैरा–10	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.06 से 31.12.09

1	पैरा–3	निर्णीत	(लेखा परीक्षा शुल्क की ₹55490/– ड्राफ्ट संख्या 397411 दिनांक 22.2.14 को संस्था/न्यास द्वारा जमा करवाने पर)
2	पैरा–4	निर्णीत	(नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित की गई है)
3	पैरा–5	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
4	पैरा–6 (1)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित की गई है)
5	पैरा–6 (2)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित की गई है)
6	पैरा–7 (1)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित की गई है)
7	पैरा–7 (2)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित की गई है)
8	पैरा–7 (3)	अनिर्णीत	
9	पैरा–7 (4)	अनिर्णीत	
10	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत	
11	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत	
12	पैरा–9	निर्णीत	(₹50 की वसूली रसीद संख्या 32032 दिनांक 18.02.2014 द्वारा करने के पश्चात)
13	पैरा–10 (i)	अनिर्णीत	
14	पैरा–10 (ii)	अनिर्णीत	
15	पैरा–11	अनिर्णीत	
16	पैरा–12	अनिर्णीत	
17	पैरा–13	अनिर्णीत	
18	पैरा–14	अनिर्णीत	
19	पैरा–15	अनिर्णीत	
20	पैरा–16	अनिर्णीत	

21	पैरा–17	अनिर्णीत	
22	पैरा–18	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित की गई है)
23	पैरा–19	अनिर्णीत	
24	पैरा–20	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	160
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्णीत किए गए गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरे	10
अन्तशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/06 से 12/09 तक अनिर्णीत पैरे	150